प्रकरण संख्या–55/2018 2018/00079 तारीख रजु–19.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक करौली, तहसील व जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री भगवती लाल शर्मा, निवासी मचानी, कोटा छावर, तहसील मासलपुर जिला करौली – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सीज्ड एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चार पैट्रोमैक्स 5 किलो मय 5.7 किलो गैस को राजसात् करने।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक करौली श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा तहसील करौली में नगर परिषद करौली गुलाब बाग में दिनांक 12.04.2018 श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री भगवती लाल शर्मा निवासी मचानी कोटा छावर करौली की फोटो स्टेट एवं लेमीनेशन दुकान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे पैट्रोमैक्सों (5 किलो गैस) एवं एक गैस भरने का यंत्र (रिफलर) को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	235682–T	15.4	16.9	1.5
2	चार पैट्रोमैक्स 5 किलो प्रति प्रतिमैक्स	–	–	–	4.2

इस प्रकार श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री भगवती लाल शर्मा निवासी मचानी कोटा छावर करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर, 4 छोटे पैट्रोमैक्स (5 किलो वाले) एवं एक रिफलर मय 5.7 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी गुलाब बाग करौली में फोटो स्टेट व लेमीनेशन की दुकान करता है और वह ग्राम मचानी (कोटा छावर) तहसील मासलपुर जिला करौली का स्थायी निवासी है। अप्रार्थी के गांव में शादी समारोह होने पर एवं बिजली समय पर नहीं आने के कारण अप्रार्थी के गांव वाले रोशनी की व्यवस्थाह हेतु पेट्रोमैक्स भरवाने के लिए करौली लाते हैं एवं अप्रार्थी के सभी गांव वालों से मधुर संबंध होने तथा अप्रार्थी की दुकान बस स्टेण्ड पर होने के कारण अप्रार्थी की दुकान पर खाली व भरे पेट्रोमैक्सों को रखकर खरीददारी करने हेत बाजार चले जाते हैं एवं खरीददारी उपरांत सामान को दुकान पर रखकर पेट्रोमैक्सों को भरवाने हेतु पैट्रोमैक्स भरने वालों की दुकान पर ले जाते हैं तथा पैट्रोमैक्सों को भरवाकर अप्रार्थी की दुकान पर रखे सामान को लेकर गांव चले जाते हैं। अप्रार्थी दिनांक 12.04.2018 को अपने घर के खाली सिलेण्डर को भरवाने हेतु करौली लाया था जो अप्रार्थी की दुकान में रखा था जिसे अप्रार्थी गैस एजेन्सी से भरवाकर शाम को गांव जाते वक्त अपने साथ ले जाता लेकिन उससे पहले ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी गैस डायरी के साथ प्रार्थी को यह बताया था कि अप्रार्थी अपने खाना बनाने के सिलेण्डर को गैस एजेन्सी से भरवाने हेतु लेकर आया है जिसे शाम को वह अपने साथ अपने गांव ले जायेगा। दिनांक 12.04.2018 को प्रार्थी के गांव के कल्याणसिंह पुत्र जगन सिंह, लज्जाराम पुत्र फैलू माली निवासी मचानी अपने परिवार में शादी होने के कारण करौली सामान खरीदने आये थे और अपने चार सिलेण्डर 5 किलो वाले मना करने के बावजूद अप्रार्थी की दुकान पर रखकर खरीददारी करने चले गये जिनमें से एक पर निपिल लगी हुई थी। अप्रार्थी ने जांच दल को बताया कि पैट्रोमैक्स उसके गांव वालों के हैं जो अभी बाजार खरीददारी करने गये हैं। थोड़ी देर में आ जायेंगे। अप्रार्थी अपनी दुकान में फोटोस्टेट व लेमीनेशन का कार्य ही करता है एवं वक्त जांच अप्रार्थी की दुकान में फोटोकॉपी व लेमीनेशन का कार्य किया जा रहा था। गैस भरने का कोई कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा था। यदि अप्रार्थी गैस भरने का कार्य करता तो अप्रार्थी की दुकान से माप–तौल करने का सामान, बांट तराजू आदि भी प्राये जाते लेकिन जांच दल द्वारा किसी प्रकार का कोई नाप तौल बांट तराजू आदि कोई भी सामान जब्त नहीं किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, करौली ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 13.04.2018 को अप्रार्थी श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री भगवती लाल शर्मा की फोटो स्टेट व लेमीनेशन की दुकान से घरेलू सिलेण्डर की गैस को पैट्रोमैक्स में रिफिल करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस के दौरान अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी की दुकान बस स्टैण्ड के पास होने एवं अप्रार्थी के स्वयं के सभी गांव वालों से मधुर संबंध होने के कारण अप्रार्थी के गांव वाले अपना सामान अप्रार्थी की दुकान पर रखकर खरीददारी करने चले जाते हैं एवं खरीददारी करके अपना सामान अप्रार्थी की दुकान से लेकर गांव चले जाते हैं। गांव में बिजली समय पर नहीं आने के कारण गांव

जिला कलक्टर
करौली

में शादी समारोह होने पर रोशनी की व्यवस्था हेतु गांव वाले पैट्रोमैक्स भरवाने करौली आते हैं व पैट्रोमेक्स भरने वालों की दुकान पर ले जाकर गैस भरवाते हैं। दिनांक 12.04.2018 को अप्रार्थी अपने खाना बनाने के खाली सिलेण्डर करौली गैस भरवाने हेतु लाया था एवं गैस एजेन्सी से रिफिल करवाकर शाम को गांव जाते वक्त अपने साथ ले जाता लेकिन उससे पहले ही जांच दल द्वारा सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। दिनांक 12.04.2018 को अप्रार्थी के गांव के कल्याणसिंह पुत्र जगन सिंह, लज्जाराम पुत्र फैलू माली शादी समारोह होने के कारण अपने चार पैट्रोमैक्सों को मना करने के बावजूद अप्रार्थी की दुकान पर रखकर बाजार खरीददारी करने चले गये जिनमें से एक पर निपिल लगी हुई थी। जांच दल को बताया भी था कि पैट्रोमैक्स उसके गांव वालों के हैं जो अभी खरीददारी करने बाजार गये हैं एवं थोड़ी देर में आ जायेंगे तथा सिलेण्डर अप्रार्थी का स्वयं का है जिसे भरवाने हेतु अप्रार्थी गांव से लाया गया है एवं शाम को अपने साथ गांव ले जायेगा। फिर भी जांच दल द्वारा अप्रार्थी का सिलेण्डर जब्त कर लिया गया। अप्रार्थी द्वारा कभी भी अपनी दुकान पर गैस भरने का कार्य नहीं किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। ना तो अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर सुपुर्द करने बाबत और ना ही अप्रार्थी के गांव वालों द्वारा पैट्रोमैक्स सुपुर्द करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी का यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी की दुकान से 4 पैट्रोमैक्स जिनमें से एक में निपिल लगी हुई थी एवं सिलेण्डर जब्त किया गया है। अप्रार्थी सिलेण्डर को खाली बताकर गैस ऐजेन्सी पर रिफिल करवाने बाबत लाया जाना बता रहा है जबकि सिलेण्डर में 1.5 किलो गैस थी। इस कारण हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अप्रार्थी द्वारा पैट्रोमैक्स में अवैध रूप से गैस भरा जाना प्रतीत होता है। इसलिए एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चार पैट्रोमैक्सों को मय 5.7 किलो गैस राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चार पैट्रोमैक्सों को मय गैस 5.7 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डर को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डर तथा पैट्रोमैक्सों की गैस 5.7 किलो तथा चार पैट्रोमैक्सों की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में चालान प्रति मय पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली